RCSE राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् SHAALADARPAN
डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–5, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,जयपुर–302017
दूरभाष: 0141–2700872, E-mail: shaladarpanjpr@gmail.com, rmsaccr@gmail.com

क्रमांक : रामाशिअ/जय/शालादर्पण/2017/344 दिनांक: 1/12/2017

अतिआवश्यक

1. जिला शिक्षा अधिकारी (मा.शि.)–प्रथम/द्वितीय, समस्त 33 जिले।
2. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, रमसा, समस्त 33 जिले।

विषय – शाला दर्पण पर किये जाने वाले कार्यो के सम्बन्ध में निर्देश।

विषयान्तर्गत लेख है कि शाला दर्पण पोर्टल की रिपोर्ट्स का अध्ययन एवं विश्लेषण करने पर पाया गया है कि विद्यालय, अध्यापक/कर्मचारी एवं विद्यार्थीयों से सम्बन्धित संकलित किये गये आंकडों में वास्तविक आंकडों से भिन्नता है, जिसका एक मात्र कारण जिला स्तरीय प्रभावी मॉनिटरिंग का अभाव है, जो जिला कार्यालयों के माध्यम से नही की जा रही है। अतः इस सम्बन्ध में निम्नानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित की जावे –

<u>नामांकन</u> :–

1. ***जिला समान परीक्षा योजना*** अन्तर्गत अर्द्धवार्षिक/वार्षिक परीक्षा 2017–18 के लिए प्रश्न पत्रों का वितरण किसी भी परिस्थिति में शाला दर्पण पर उपलब्ध नामांकन रिपोर्ट्स के आधार पर ही किया जावें और अन्तर की स्थिति में विद्यालय स्तर से शाला दर्पण पर तुरन्त सुधार करवाया जावें। इस सम्बन्ध में गत वर्ष भी निर्देश जारी किये जा चुके है।
2. निकट भविष्य में ***स्टॉफिंग पैटर्न–2017*** के अन्तर्गत विद्यालयों में पदों का निर्धारण शाला दर्पण पर उपलब्ध नामांकन के आंकडों के आधार पर ही शीघ्र ही किया जाना प्रस्तावित है, अतः नामांकन के आंकडों की शतप्रतिशत प्रमाणिकता सुनिश्चित की जावें।
3. कक्षा 6 से 10 के लिए सत्र 2017–18 हेतु परीक्षा परिणाम मॉड्यूल प्रारम्भ किया जा चुका है अतः गत वर्ष जारी निर्देशानुसार उक्त कक्षाओं का स्थानीय परीक्षाओं का परिणाम इसी के माध्यम से तैयार करवाया जावें, ताकि सत्रांत में परीक्षा परिणामों की विस्तृत और विश्लेषणात्मक रिपोर्ट्स शाला दर्पण के माध्यम से प्राप्त हो सके। यह नामांकन को प्रमाणिक बनाने में भी सहयोगी साबित होगा।

<u>विद्यालय</u> :–

4. विद्यालयों से सम्बन्धित आंकडे विद्यालय समरी सूचना(प्रपत्र–2), विद्यालय प्रोफाईल (भौगोलिक जानकारी, विस्तृत जानकारी, मान्यता एवं अन्य जानकारी, विषय एवं संकाय की जानकारी); विद्यालय इंफ्रास्ट्रक्चर एवं सिविल कार्य सम्बन्धी प्रपत्र (विद्यालय परिसर की सूचना, कक्षा कक्षा ससाधन विवरण, कक्ष/प्रयोगशाला, अन्य सुविधाए), विद्यालय में कम्प्यूटर व इंटरनेट की सूविधा(प्रपत्र–8), विद्यालय

www.rajteachers.com

विकास एवं प्रबन्धन समिति, आंगनवाडी समन्वयन आदि में भरवायें गये है जिनके आधार पर लोकसभा/विधानसभा के प्रश्नों के जवाब दिये जाते है साथ ही विभाग की विभिन्न योजनाओं के प्रस्ताव/क्रियान्विति भी सुनिश्चित की जाती है। इन्हे अद्यतन रखे जाने हेतु आपको एवं संस्थाप्रधानों को निर्देशित किया जाता रहा है। इस सम्बन्ध में ध्यान में लाया गया है कि संस्था प्रधानों के द्वारा शाला दर्पण पर लम्बे समय से लॉगिन नही किया जाता है, इस प्रकार की उदासीनता एवं लापरवाही की मॉनिटरिंग आपके कार्यालय द्वारा की जानी आवश्यक है। इसी के मध्यनजर 15 दिवस से शाला दर्पण पर लॉगिन नही करने वाले विद्यालयो की सूचना नवीन मॉड्यूल के माध्यम से आपके लॉगिन के अन्तर्गत उपलब्ध करवाई गई है, और ऐसे विद्यालयों हेतु "**कारण बताओ नोटिस**" भी शाला दर्पण के माध्यम से ही जनरेट करने की सुविधा दी गई है। अतः इसका उपयोग सुनिश्चित करते हुए कार्यवाही प्रस्तावित की जावें।

स्टॉफ :–

5. कार्मिकों की कार्यमुक्ति एवं कार्यग्रहण शाला दर्पण के माध्यम से ही करवाये जाने के आदेश विभाग द्वारा जारी किये हुए है फिर भी ऐसे प्रकरण सामने आये है जिनमें कतिपय संस्था प्रधानों द्वारा कार्मिकों को लम्बे समय तक शाला दर्पण पर कार्यग्रहण अथवा कार्यमुक्त नही किया जाता है। इसी प्रकार कार्मिक विस्तृत विवरण (प्रपत्र–10) कार्यरत कार्मिकों का पूर्ण भरने एवं उसका प्रिन्ट लेकर प्रत्येक कार्मिक एवं विद्यालय स्तर से जांच किये जाने हेतु निर्देश पूर्व में जारी किये हुए है लेकिन अभी भी इनमें सुधार और अपूर्ण प्रविष्टियों के सम्बन्ध में शिकायते प्राप्त होती रहती है, ध्यान रहे कि उक्त प्रविष्टियों के आधार पर यदि किसी भी प्रकार की नियुक्ति एवं स्थानान्तरण की कार्यवाही उच्चाधिकारियों के द्वारा की जाती है तो इसके लिए आपकी अप्रभावी मॉनिटरिंग दोषी होगी।

उक्त निर्देशों की अक्षरशः पालना सुनिश्चित की जावें। इसके बावजूद भी यदि वास्तविक आंकडों से शाला दर्पण के आंकडों में भिन्नता पाई जाती है, तो इसकी समस्त जिम्मेदारी संस्था प्रधान के साथ–साथ आपकी भी होगी।

(आनन्दी)
राज्य परियोजना निदेशक
RCSE, जयपुर

क्र. 742 – 745 दि. 1-12-17

प्रतिलिपि – निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, जयपुर।
2. निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर को शाला दर्पण प्रकोष्ठ–बीकानेर के माध्यम से प्रभावी मॉनिटरिंग सुनिश्चित करवाने हेतु।
3. अति. राज्य परियोजना निदेशक, रामाशिप, जयपुर।
4. उपायुक्त–द्वितीय, रामाशिप, जयपुर।

(आनन्दी)
राज्य परियोजना निदेशक
RCSE, जयपुर

www.rajteachers.com